फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 61/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 23.07.2024

पत्रावली पेश हुइ। प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 825 में प्रार्थी का नाम पपु पुत्र भेरा संरक्षक माता भूरी अंकित है जबकि अन्य सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम उदयलाल रेगर अंकित हैं जिससे प्रार्थी द्वारा अपना नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पाया की राजस्व जमाबंदी के खसरा न. 825 में प्रार्थी का नाम पपु पिता भेरा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजो आधार कार्ड, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, जनआधार आदि में उदय लाल पुत्र भेरा रेगर दर्ज है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया की दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होकर पपु का वास्तविक नाम उदय लाल रेगर है। पटवारी हल्का द्वारा अपने मौके पर्चे में बताया की प्रार्थी का नाम बचपन में बोलता नाम पपु होने के कारण जमाबंदी में पपु अंकित हो गया किन्तु वास्तविक नाम उदय लाल पिता भेरा है तथा प्रार्थी की आयु 40 वर्ष पुर्ण हो चुकी है व प्रार्थी बालिग है। पटवारी हल्का द्वारा अपने मौके पर्चे में बताया की पपु पुत्र भेरा व उदय लाल पुत्र भेरा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तथा राजस्व रेकर्ड में पपु पुत्र भेरा के स्थान पर उदय लाल पुत्र भेरा दर्ज किया जाना उचित बताया।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 825 में प्रार्थी का नाम नाबालिग पपु पुत्र भेरा संरक्षक माता भुरी हिस्सा 1/4 जाति बोला सा. देह खातेदार के बजाय उदयलाल रेगर पिता भेरा हिस्सा 1/4 जाति बोला सा. देह खातेदार संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तूर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:07 IST
Reason: SelfAttested